30-8-19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश नहीं हुआ है। अप्रार्थीगणों को तीन-तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा बावलवाड़ा कि कुल आराजी ओंकिल अन्तरकार की खातेदारी भूमि है उसका एक वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act के तहत न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं एक तरफा बहस पर यह आदेश किया जाता है कि अप्रार्थीगणों मनन को यह आदेश किया जाता है कि ... मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे की को मूल वाद के निस्तारण तक भूमि की स्थिति वादग्रस्त भूमि में दोनों पक्ष मौके कि स्थिति यथावत बनाये रखें। किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें। दोनों पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवें तथा मूल वाद पत्र के साथ नत्थी

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जि उदयपुर